भारत सरकार

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग

राज्य सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या: 2035

दिनांक 18 मार्च, 2025 को पूछे जाने वाले प्रश्न का उत्तर

आयुष्मान भारत योजना का कार्यान्वयन और निगरानी

2035 श्री मल्लिकार्जुन खरगे:

क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) प्रति 100,000 जनसंख्या पर राज्य-वार सूचीबद्ध अस्पतालों और स्वास्थ्य एवं आरोग्य केंद्रों की संख्या कितनी है;

(ख) आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना (एबी-पीएमजेएवाई) के अंतर्गत सामुदायिक स्वास्थ्य अधिकारियों के रिक्त पदों की राज्य-वार संख्या कितनी है, तथा इन रिक्तियों को भरने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं;

(ग) क्या सरकार ने नागरिकों के स्वास्थ्य पर उन्नत प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों और उप-केंद्रों के प्रभाव का कोई आकलन किया है, यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) क्या सरकार ने एबी-पीएमजेएवाई के लिए निगरानी रेपोर्टों का प्रकाशन पुनः आरंभ कर दिया है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

उत्तर

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री

(श्री प्रतापराव जाधव)

(क): दिनांक 01.03.2025 की स्थिति के अनुसार एबी पीएम-जेएवाई के तहत पैनलबद्ध अस्पतालों की राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार संख्या और दिनांक 28.02.2025 की स्थिति के अनुसार संचालित आयुष्मान आरोग्य मंदिरों (एएएम) (पूर्ववर्ती स्वास्थ्य और आरोग्य केंद्र) की राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार संख्या अनुलग्नक-I में संलग्न है।

(ख): दिनांक 28.02.2025 की स्थिति के अनुसार विभिन्न राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के ग्रामीण क्षेत्रों में एएएम-उप-स्वास्थ्य केंद्रों में रिक्त सामुदायिक स्वास्थ्य अधिकारी (सीएचओ) पदों की संख्या अनुलग्नक-II में संलग्न है। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन (एनएचएम) स्वास्थ्य अवसंरचना सुधार, स्वास्थ्य सुविधा केंद्रों में पर्याप्त मानव संसाधनों की उपलब्धता, विशेष रूप से ग्रामीण क्षेत्रों में कम सेवा वाले और हाशिए पर रहने वाले समूहों के लिए गुणवत्तापरक स्वास्थ्य परिचर्या की उपलब्धता और सुलभता में सुधार के लिए सहायता प्रदान करता है।

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय एनएचएम के तहत कार्यक्रम कार्यान्वयन योजनाओं (पीआईपी) के रूप में प्राप्त प्रस्तावों के आधार पर राज्यों/ संघ राज्य क्षेत्रों को सार्वजनिक स्वास्थ्य प्रणाली को मजबूत करने के लिए तकनीकी और वित्तीय सहायता प्रदान करता है। भारत सरकार मानदंडों और उपलब्ध संसाधनों के अनुसार कार्यवाही के रिकॉर्ड (आरओपी) के रूप में प्रस्तावों को मंजूरी देती है। तथापि जन स्वास्थ्य सुविधा केंद्रों में मानव संसाधनों को लगाने/ उनकी उपलब्धता की प्राथमिक जिम्मेदारी संबंधित राज्य सरकार की होती है।

(ग): एनएचएम के तहत, विभिन्न स्वास्थ्य कार्यक्रमों के निष्पादन का नियमित रूप से मूल्यांकन समीक्षा बैठकों, प्रमुख प्रदेय की मध्यावधि समीक्षा, वरिष्ठ अधिकारियों के क्षेत्र दौरे, सेवा वितरण के लिए बेंचमार्क स्थापित करके निष्पादन को बढ़ावा देना और उपलब्धियों के लिए पुरस्कृत करना आदि के माध्यम से किया जाता है। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन (एनएचएम) के विभिन्न संकेतकों का नियमित रूप से बाहरी सर्वेक्षणों जैसे राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण (एनएफएचएस) और नमूना पंजीकरण प्रणाली (एसआरएस) के माध्यम से मूल्यांकन किया गया है। इसके अलावा, एनएचएम के तहत, विभिन्न योजनाओं की प्रगति और कार्यान्वयन की स्थिति का आकलन और निगरानी करने के लिए वार्षिक सामान्य समीक्षा मिशन (सीआरएम) आयोजित किए जाते हैं।

(घ): राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण (एनएचए) ने एबी पीएम-जेएवाई के जमीनी स्तर पर विश्लेषण के लिए विभिन्न उपायों को लागू किया है। एनएचए के तहत निगरानी और अनुसंधान (एमएंडआर) प्रभाग तत्समय आधार पर योजना की प्रगति को लगातार ट्रैक करता है, योजना की लगातार निगरानी करने के लिए विभिन्न मुख्य निष्पादन संकेतकों (केपीआई) वाला डेश बोर्ड तैयार किया गया है। योजना के निष्पादन का मूल्यांकन जारी किए गए कार्डों, अस्पताल में भर्ती होने वालों की संख्या, प्रदान की गई उपचार की गुणवत्ता, दावों के समय पर निपटान आदि के संदर्भ में वस्तुनिष्ठ रूप से किया जाता है। एबी पीएम-जेएवाई के कार्यान्वयन के संबंध में राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को लगातार फीडबैक प्रदान किया जाता है।

अनुलग्नक-I

एबी पीएम-जेएवाई के अंतर्गत राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार पैनलबद्ध अस्पतालों की संख्या (दिनांक 1.3.2025 की स्थिति के अनुसार) और कार्यात्मक आयुष्मान आरोग्य मंदिरों की संख्या (दिनांक 28.2.2025 की स्थिति के अनुसार)

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र का नाम	एबी पीएम-जेएवाई के अंतर्गत पैनलबद्ध अस्पतालों की संख्या	कुल कार्यात्मक आयुष्मान आरोग्य मंदिरों की संख्या(एएएम)
1.	अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	7	129
2.	आंध्र प्रदेश	2,493	11,862
3.	अरुणाचल प्रदेश	51	489
4.	असम	352	4,961
5.	बिहार	1,115	10,322
6.	चंडीगढ़	31	60
7.	छत्तीसगढ	1,661	5,876
8.	दादरा और नागर हवेली	20	95
9.	दिल्ली	73	-
10.	गोवा	25	302
11.	गुजरात	2,666	10,642
12.	हरियाणा	1,315	3,256
13.	हिमाचल प्रदेश	287	2,470
14.	जम्मू और कश्मीर	256	3,113
15.	झारखंड	557	4,098
16.	कर्नाटक	3,560	10,073
17.	केरल	588	7,035
18.	लद्दाख	10	321
19.	लक्षद्वीप	5	13
20.	मध्य प्रदेश	1,084	12,302
21.	महाराष्ट्र	1,637	12,249
22.	मणिपुर	69	418
23.	मेघालय	174	614
24.	मिजोरम	88	409
25.	नागालैंड	77	470
26.	ओडिशा	12	7,349
27.	पुदुचेरी	30	127
28.	पंजाब	773	3,126
29.	राजस्थान	1,904	11,347
30.	सिक्किम	19	184
31.	तमिलनाडु	2,245	8,246
32.	तेलंगाना	1,425	5,047
33.	त्रिपुरा	138	1,132
34.	उत्तर प्रदेश	5,876	22,775
35.	उत्तराखंड	291	2,244
36.	पश्चिम बंगाल	43	13,417
	कुल	**30957**	**1,76,573**

अनुलग्नक-II

दिनांक 28.02.2025 तक विभिन्न राज्यों/ संघ राज्य क्षेत्रों में ग्रामीण क्षेत्रों में सीएचओ पदों की संख्या

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	रिक्त पद
1.	अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	22
2.	आंध्र प्रदेश	160
3.	असम	489
4.	बिहार	5619
5.	छत्तीसगढ़	1040
6.	गोवा	79
7.	गुजरात	124
8.	हरियाणा	508
9.	हिमाचल प्रदेश	12
10.	जम्मू और कश्मीर	30
11.	कर्नाटक	643
12.	केरल	408
13.	लद्दाख	1
14.	मध्य प्रदेश	4
15.	महाराष्ट्र	1007
16.	मणिपुर	20
17.	नागालैंड	1
18.	ओडिशा	16
19.	पुद्दुचेरी	11
20.	पंजाब	87
21.	राजस्थान	202
22.	तमिलनाडु	437
23.	तेलंगाना	404
24.	त्रिपुरा	56
25.	उत्तर प्रदेश	1080
26.	उत्तराखंड	31
	कुल	**12491**

स्रोत: एएएम पोर्टल
